

स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बनाए 7 मकान जेसीबी से तोड़े

- फाटक बाहर क्षेत्र में जीडी जैन स्कूल की जमीन का मामला

- नगर निगम, प्रशासन की टीम की संयुक्त कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। शहर के फाटक बाहर बड़ोखर क्षेत्र स्थित शासकीय जीडी जैन स्कूल की जमीन पर कब्जा कर 7 अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए कच्चे एवं पक्के घरों पर 26 मई को प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया।

जानकारी के अनुसार जीडी जैन स्कूल के स्वामित्व की सर्वे नंबर-934 की भूमि पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जबरन कब्जा कर वहां अपने कच्चे एवं पक्के मकान बना लिए थे। स्कूल प्रबंधन की ओर से शिकायत मिलने के बाद नगर निगम मुरैना की ओर से अतिक्रमणकारियों को 9 मार्च 2026 को नोटिस भेजे गए थे। जिनमें कब्जा हटाने को कहा गया था। लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी उनके द्वारा अपने कब्जों को नहीं हटया गया था। मंगलवार को नगर निगम के मदाखलत प्रभारी रिषीकेश मुद्गल, हल्का पटवारी सेवक सिंह सिकरवार,



राजस्व निरीक्षक रविन्द्र सिंह जाटव के साथ नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। यहां टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से स्कूल की जमीन पर बने 7 मकानों को जर्मीदोज कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया।



फायरिंग मामले में एक माह से फरार सनी-आदित्य गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। सिहौनिया पुलिस ने फायरिंग के मामले में बीते एक माह से फरार चल रहे सनी तोमर और आदित्य परमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से तीन जिंदा राउण्ड, 315 बोर कट्टा और घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार सिहौनिया पुलिस ने फायरिंग की घटना को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रं. 36/2026 दर्ज किया गया था। जिसमें सनी तोमर नि. कटौलापुरा और आदित्य परमार को नामजद किया गया था। घटना के बाद से ही दोनों फरार बने हुए थे। 126 मई को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने गोपी गांव में नहर के पास से दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से 315 बोर कट्टा, तीन जिंदा राउण्ड और बिना नंबर की अपाचे बाइक बरामद की है। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी एसआई अतुल सिंह परिहार, एसएसआई राकेश भास्कर, होतम सिंह, प्र.आर. प्रवीण कुमार, नरहरि यादव, आरक्षक प्रदीप, बृजभूषण, असगर, अनमोल, आरक्षक चालक धर्मवीर शामिल थे।



बीहड़ में डंप 150 ट्रॉली रेत नष्ट कराया, रास्तों पर खुदवाए गड्डे

सरायछौला पुलिस, वनविभाग की संयुक्त कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। सरायछौला थाना क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ पुलिस एवं वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्राचीन बाबा देवपुरी मंदिर के पास बीहड़ क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भंडारित किए गए रेत को नष्ट कराया। अभियान एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डाबर के निर्देशन एवं

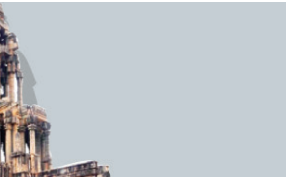
सीएसपी दीपाली चन्दौरिया के मार्गदर्शन में चलाया गया। सोमवार को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने दबिश देकर बाबा देवपुरी मंदिर के पास बीहड़ में भंडारित करीब 150 ट्रॉली रेत बरामद की। पुलिस और वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से रेत को मिट्टी में

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व छात्रों का भविष्य प्राथमिकता: कलेक्टर

मुरैना, 26 मई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और शिक्षकों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 जून से विद्यालयों में स्वच्छता, नवाचार और सकारात्मक बदलाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। कलेक्टर ने अपार आईडी निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए घर-घर संपर्क कर दस्तावेज जुटाने और व्रुटियों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कमलेश कुमार भार्गव, बीएस इंदोलिया, हरीश तिवारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

254 बे-टिकट मुसाफिर-गंदगी फैलाने वालों पर 2.47 लाख जुर्माना

मुरैना, 26 मई। रेलवे स्टेशन मुरैना पर सोमवार को रेलवे प्रशासन ने बिना टिकट यात्रियों, अनधिकृत वेंडर्स और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के निर्देशन में संचालित किया गया। अभियान में कुल 254 बिना टिकट एवं अनियमित यात्रियों से 2 लाख 46 हजार 970 का जुर्माना वसूला गया।



कल ईद-उल-अजहा की छुट्टी, आज खुलेंगे दफ्तर

मुरैना, 26 मई। ईद-उल-अजहा के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में राज्य शासन ने संशोधन किया है। अब सार्वजनिक अवकाश गुरुवार 28 मई 2026 को रहेगा। इससे पहले यह अवकाश बुधवार 27 मई को घोषित किया गया था। संशोधित आदेश के अनुसार 27 मई को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे और नियमित रूप से कामकाज किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बाउंडओवर का उल्लंघन करने वाले तीन पर ठोका जुर्माना

मुरैना/जोरा, 26 मई। पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में बाउंडओवर की कार्रवाई का उल्लंघन करने पर नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजभान सिंह कुशवाहने तीन आरोपियों पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार थाना नए अपराध दर्ज होने पर कार्रवाई, तहसीलदार न्यायालय ने माना दोषी पहाड़गढ़ पुलिस ने आरोपी जाहर सिंह, रामनरेश सिंह एवं सुनील गुर्जर निवासी अमोही के खिलाफ वर्ष-2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। न्यायालय में पेश होने पर तीनों आरोपियों से एक-एक लाख रुपए के बाउंडओवर भरवाए गए थे। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाना पहाड़गढ़ में पुनः मारपीट एवं शांति भंग से जुड़ा नया मामला दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए नायब तहसीलदार न्यायालय ने तीनों आरोपियों को पूर्व में निष्पादित बंधपत्र के उल्लंघन का दोषी माना और उनके खिलाफजुर्माने की कार्रवाई की है।

एसआईआर-2026 के आधार पर बने नई मतदाता सूची : धीरज

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर दक्षिण मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। भाजपा की ओर से नगरीय निकायों की मतदाता सूची में भारी विसंगतियों का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा गया। मंडल अध्यक्ष धीरज शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में एसआईआर-2026 के आधार पर नई एवं पारदर्शी मतदाता सूची जारी बनाए जाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद भी मृत, विस्थापित, डुप्लीकेट और मृत हो चुके मतदाताओं एवं कई वोटरस के दोहरे नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि एसआईआर-2026 के दौरान ऐसे मतदाताओं को मतदाता सूची से हटया जा चुका है। इसके साथ ही कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या में हजारों का अंतर बताया गया,



जिससे सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि एसआईआर-2026 के आधार पर सूची संशोधित होने से मतदान केंद्रों की संख्या और चुनावी खर्च दोनों में कमी आएगी। भाजपा की ओर से मांग की गई है कि नगरीय निकायों की वर्तमान सूची का गहन पुनरीक्षण कर नई

मतदाता सूची प्रकाशित की जाए, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सकें। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रेमकांत शर्मा, पूर्व सभापति नगर निगम अनिल गोयल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण परमार, संजय शर्मा, राजेश सिंह सिकरवार आदि उपस्थित थे।

पिस्टल से फायरिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 युवक जख्मी

मुरैना, 26 मई। शहर की गल्स स्कूल रोड पर मंगलवार की सुबह स्कूटी सवार दो युवक गोली लगने से जख्मी हो गए। दोनों युवकों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही युवकों को गोली मारे जाने की खबरों को सिटी कोतवाली पुलिस ने भ्रामक और असत्य बताया है। पुलिस के अनुसार युवकों को किसी अन्य व्यक्ति ने गोली नहीं मारी, बल्कि अवैध पिस्टल से फायरिंग के दौरान खुद ही गोली लगने से वे जख्मी हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल सिकरवार 22 पुत्र कुपाल सिंह सिकरवार और निखिल तिवारी 22 पुत्र प्रमोद तिवारी निवासीगण पुराना चुंगीनाका रोड गोपालपुरा मंगलवार की सुबह स्कूटी पर सवार होकर गल्स स्कूल रोड पर जा रहे थे, इसी दौरान फायरिंग में गोली लगने से वे दोनों जख्मी हो गए। सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया के अनुसार पड़ताल के दौरान ज्ञात हुआ कि जख्मी युवक निखिल तिवारी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके विरुद्ध 9 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। निखिल और राहुल अवैध पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे, इसी दौरान गोली लगने से वे दोनों स्वयं ही जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।



स्काउट-गाइड का अभिरुचि केन्द्र बना हुनर तराशने का मंच

मुरैना, 26 मई। भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में शहर के एक निजी कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट में संचालित अभिरुचि केंद्र युवाओं की प्रतिभा निखारने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। केंद्र में छात्र-छात्राओं को हिंदी-अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग, डांस तथा वेब्ट मटेरियल से उपयोगी सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को युवाओं में तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन विकसित करना है। केंद्र का संचालन सुरेन्द्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जबकि श्रीमती बिन्दु सोलंकी एवं श्रीमती बबिता परमार सहयोग दे रही हैं। कार्यक्रम को लेकर वीरसिंह यादव ने कहा कि ऐसे केंद्र विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं शोखर सिंह यादव ने अधिक से अधिक बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने स्काउट-गाइड गतिविधियों को अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाला बताया। कार्यक्रम में कौशल विकास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।



सर्वजनिक सुचना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अवसंरचना विकास मण्डल द्वारा निर्मित भवन क्रं. ६ इंडब्ल्यूएस-34 पुरानी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना को कि भागवत सिंह पुत्र स्व. श्री गम्भीर सिंह को आवंटित किया गया था। इनकी मृत्यु दिनांक 21.12.2014 को हो चुकी है। इनके वैध उत्तराधिकारी पुरगण श्री सीताराम, श्री सुरेश गुर्जर, श्री महावीर सिंह, करतार सिंह उर्फ बालकदत्त पुत्र स्व. श्री भागवत सिंह एवं इनकी पुत्रीगण श्रीमती श्रीमती लोंगशी पत्नी श्री मनीराम सिंह, श्रीमती राममसेई पत्नी श्री महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त भवन क्रं. ६ इंडब्ल्यूएस-34 अपने नाम नामांतरण/हस्तान्तरण बावत आवेदन किया है।

यदि कि इस कार्यालय में विवादाधीन है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

कार्यक्रम को लेकर वीरसिंह यादव ने कहा कि ऐसे केंद्र विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं शोखर सिंह यादव ने अधिक से अधिक बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने स्काउट-गाइड गतिविधियों को अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाला बताया। कार्यक्रम में कौशल विकास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

शहर का विकास ही मेरी प्राथमिकता : नपाध्यक्ष

15 लाख की लागत से बनेगा सीसी नाला, हुआ भूमिपूजन



प्राथमिकता के आधार पर हल किया

जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की

सेवा ही उनका धर्म है और शहर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद लगातार विकास कार्य करा रही है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सीसी नाला बनने से बरसात में पानी निकासी सुचारू होगी और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कार्यक्रम में कुलदीप सिंह, पार्षद अशोक सिंह राणावत, विनोद पलिया, लला सिकरवार, उपयंत्री ऐश्वर्य गोयल, ठेकेदार एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।



जनसुनवाई में कलेक्टर ने 315 लोगों की समस्याएं सुनी

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने 315 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। इनमें से 55 गंभीर मामलों को टीएल में दर्ज कर आगामी बैठक में विस्तृत सुनवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में राजस्व, जमीन विवाद, छात्रवृत्ति, अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य, पेंशन, स्वच्छता, अतिक्रमण एवं सिंचाई विभाग से जुड़े आवेदन पहुंचे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतें जन आकांक्षा पोर्टल पर तत्काल अपलोड कर समस्याओं में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, अश्विनी कुमार रावत सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।



जनसुनवाई: एसपी ने 45 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज
मुरैना, 26 मई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मोना ने मंगलवार को आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे 45 लोगों ने पारिवारिक विवाद, महिला संबंधी शिकायतें, जमीन एवं संपत्ति विवाद सहित अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। एसपी ने प्रत्येक मामले में निष्पक्ष एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डाबर, सीएसपी दीपाली चन्दौरिया, डीएसपी हेडक्वार्टर विजय सिंह भदौरिया सहित महिला थाना एवं महिला सुरक्षा शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर आवेदकों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

बिना फिटनेस-परमिट सवारियां ढो रही 50 यात्री बसों पर जुर्माना

मुरैना, 26 मई। सड़क एवं यात्री सुरक्षा को लेकर पुलिस ने लोक परिवहन बसों के खिलाफविशेष अभियान चलाया। थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक संतोष भदौरिया एवं उनकी टीम ने यात्री बसों की सघन जांच कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना वैध पंजीयन, फिटनेस, परमिट एवं बीमा के संचालित बसों पर कार्रवाई की गई। वहीं ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड बसों पर भी शिकंजा कसते हुए चालानी कार्रवाई कर 30 हजार रुपये की राशि सम्मन शुल्क के रूप में वसूली गई। पुलिस ने बस संचालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की समझावश भी दी। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने यात्री बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स एवं

यातायात पुलिस की कार्रवाई, 30 हजार रु. सम्मन शुल्क वसूला

आम-सूचना

श्री छोटेलाल राठौर पुत्र सोमराम को स्वतः, स्वामित्व व आधिपत्य की अवल सम्पत्ति भूखण्ड क्रमांक 237, स्थित ग्राम मोहोरी, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिक निगम मुरैना वार्ड क्र. 43 (राजगुरु भोईरी) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 75 ग्राम भोईरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 650 वर्गफुट है और वर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भवन श्री श्रीकृष्ण, पश्चिम में-भूमि देगार, उत्तर में-रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भूमि स्वामी है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रतियम, श्री सिरनाम सिंह पुरगण श्री राम सिंह एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सिरनाम सिंह का स्वयंवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी गीतू, गुडिया पुरिया श्री सूरनाम सिंह, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री श्रीकृष्ण सिंह पुरगण श्री सूरनाम सिंह उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अगना नाम ड्रजन करवाया गया। श्री सिरनाम सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती ललिता कुशवाह पत्नी श्री विजेन्द्र कुशवाह के हित में सहस्वामित्व विवेक सम्पादित करने हेतु डीउर का ड्राफ्ट तैयार किया गया है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विवेक सम्पादित किया जाना शेष है। श्री विजेन्द्र सिंह कुशवाह एवं श्रीमती ललिता कुशवाह द्वारा उक्त सम्पत्ति को भूरे पक्षधनर वित्तीय संस्था वित्तीय संस्थान टाकस बैंक फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बेवक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे स्वामित्व, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे स्वामित्व के अन्य सहकारियों को एवं श्री सिरनाम सिंह कुशवाह द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति को भूरे पक्षधनर के पक्ष में अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा भूरे पक्षधन के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वगित अवल सम्पत्ति भूरे पक्षधन के पक्ष में बंबक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक- नीरज जैन (एडवोकेट)
कर्म., भवन क्र.52, फैलास ब्लाक, फैलास रोड के पास सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 98276-72710

प्रेषक- नीरज जैन (एडवोकेट)
कर्म., भवन क्र.52, फैलास ब्लाक, फैलास रोड के पास सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) मो. 98276-72710